

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम, बिरौल

सी0आर0 संख्या—157 / 2024
सी.आई.एस. संख्या—157 / 2024

15.05.2026

परिवादी शमशुल अंसारी अनुपस्थित है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी अनुपस्थित है। वाद सुनवाई हेतु लंबित है। परिवादी का शपथ पर बयान है, परंतु उनके द्वारा कोई जांच साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। इससे यह दर्शित होता है कि परिवादी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः यह न्यायालय उपरोक्त परिवादपत्र को अदम पैरवी में **खारिज** करती है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम
बिरौल
दिनांक— 15.05.2026